

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

पम्पो बाई उर्फ जसवंत कौर बनाम बच्चन सिंह


मुकदमा अन्तर्गत धारा- 212 आरटीए

मुकदमा नम्बर- 025/2021

वकील प्रार्थी :- श्री बलराम सुथार

वकील- अप्रार्थी- _____

चक- 02 सी-बडी

तारीख हुज्ज	हुज्ज या कार्यवाही अनुरिक्त जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुज्ज की तारीख जारी हुआ
12.03.2021	<p>वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एकपक्षीय रूप से चुनी गई। बहस अधिवक्ता, शपथ पत्र संलग्न दस्तावेजात के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा इस आराय को जारी की जाती है कि समयपक्ष प्रश्नगत चक 2 सी बडी के खाता संख्या 74/54, मुरब्बा नम्बर 49 के किला नम्बर 9/2, की 0.126, 10,13,20,21 सालम कृषि भूमि में से अपने हक हिस्से से अधिक आराजी रहन दैय न करें व आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. से तानील करवाकर 3 दिवस में रस्तीदे पेश करें। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त नानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 26.03.2021 को पेश हो।</p>	
26.03.21	<p>आज बार सभ ने कार्य नहीं करन का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 09.04.2021 को पेश हो।</p>	
14-21	<p>आज पीठासीन अधिकारी <u>श्री. अशोक कुमार</u> हैं, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28/4/21 को पेश हो।</p>	

सहायक कलक्टर एवं कार्यापालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

15-1-25 आज पीठामान अधिकारी...
पर है, पत्रावली पूर्वानुसा.
दिनांक 14-2-25 को पेश हो

14-2-25 आज बार सघ न कार्य नहीं करन
का निर्णय लिया है। पत्रावली
पूर्वानुसार दिनांक 12-3-25
को पेश हो।

12-3-25 आज पीठामान अधिकारी...
पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 3/4/25 को पेश हो

3/4/25 आज पीठामान अधिकारी...
पर है, पत्रावली पूर्वानुसार
दिनांक 1/5/25 को पेश हो

21/05/25 अधिकाधिक धारणा अथवा नवीन पत्रावली
को भी लम्बे समय से का काम-काज
के अभाव में विचारणीय नहीं करनी
वनीय नहीं को व्यापारिक सभ्य के अन्त
कम-कम आगत जाये जायेगी
वनीय धारणा ए।जि.सी. अथवा वि.का
का 2/2/25 के 25/25, अथवा पत्रावली
का अन्तर्गत न अथवा नवीन पत्रावली
का अन्तर्गत नवीन पत्रावली नवीन पत्रावली
का अन्तर्गत नवीन पत्रावली नवीन पत्रावली
का अन्तर्गत नवीन पत्रावली नवीन पत्रावली